भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2333

03.08.2026 को उत्तर के लिए

वन संरक्षण योजनाएं

2333 **श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वन-निर्भर समुदायों को संरक्षण प्रयासों में शामिल किया जाता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सामुदायिक सहभागिता की कमी के क्या कारण हैं;

(ख) क्या वन संरक्षण योजनाओं के तहत आवंटित निधि का पूर्ण उपयोग किया गया है और यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो कम उपयोग के क्या कारण हैं;

(ग) क्या जलवायु परिवर्तन ने वन क्षरण और वनाग्नि को और बढ़ा दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने वन क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को विनियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या घटते वन आवरण के कारण वन्यजीव पर्यावास प्रतिकूल रूप में प्रभावित हो रहे हैं और यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा जैव विविधता की रक्षा के लिए कौन-सी संरक्षण रणनीतियां लागू की गई हैं; और

(च) क्या अवसंरचना के विस्तार के कारण वनों के विखंडन को रोकने के लिए कोई नीतियां मौजूद हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे उपायों की प्रभावशीलता क्या है?

उत्तर

पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) वन-निर्भर समुदाय विभिन्न कार्यक्रमों और संस्थागत तंत्रों के माध्यम से वन संरक्षण और संधारणीय वन प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल हैं। राज्य सरकारों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के आसपास गठित संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) और पर्यावरण-विकास समितियां (ईडीसी) के माध्यम से स्थानीय समुदायों को शामिल करके सहभागितापरक वन प्रबंधन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। ये संस्थाएं अवैध वन कटाई को रोकने, जंगल की आग के

प्रबंधन, वनीकरण कार्यकलापों, अवक्रमित वनों के पुनर्स्थापन और वन संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन सहित वनों के संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यकलापों में भाग लेती हैं।

इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 योग्य वनवासी समुदायों में वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है और ग्राम सभाओं को संधारणीय उपयोग के लिए सामुदायिक वन संसाधनों की सुरक्षा, पुनर्जनन, संरक्षण और प्रबंधन करने का अधिकार देता है, जिससे वन संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका मजबूत होती है।

(ख) और (ग) वन और वृक्षों के आवरण को बढ़ाने और अवक्रमित वन भूमि की बहाली के उद्देश्य से, मंत्रालय विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों नामतः राष्ट्रीय हरित मिशन (जीआईएम), प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा), नगर वन योजना, तटीय पर्यावासों और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी) आदि के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय वनाग्नि कार्य योजना, 2018 में क्षमता निर्माण, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग, सामुदायिक भागीदारी और वनाग्नि प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से वनाग्नि की रोकथाम, पहचान, नियंत्रण और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। मंत्रालय वनाग्नि की एकीकृत प्रबंधन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना,'वनाग्नि रोकथाम और प्रबंधन' के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(घ) सरकार वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और अन्य लागू कानूनों तथा नियमों के तहत निर्धारित वैधानिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं के माध्यम से वन क्षेत्रों में खनन प्रस्तावों के पर्यावरणीय और पारिस्थितिक प्रभावों का आकलन करती है। वन क्षेत्रों में खनन प्रस्तावों की स्थल-विशिष्ट पारिस्थितिकीय विशेषताओं, वन्यजीवों और पर्यावासों पर संभावित प्रभावों और प्रस्तावित शमन उपायों को ध्यान में रखते हुए, मामले-दर-मामले के आधार पर जांच की जाती है।

(ङ) भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023 के अनुसार, देश का वन और वृक्ष आवरण 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। आईएसएफआर 2021 के पिछले आकलन की तुलना में देश के वन और वृक्ष आवरण में 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।

वन्य जीवों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत पूरे देश में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करने वाले संरक्षित क्षेत्रों नामतः राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व का एक नेटवर्क अधिसूचित किया गया है। संरक्षित क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 1134 हो गई है। इसके अलावा, 58 बाघ अभयारण्य और 33 हाथी अभयारण्य हैं। इसके अतिरिक्त, पारिस्थितिकीय संपर्क बनाए रखने के लिए, 32 बाघ के गलियारों और 150 हाथी के गलियारों को चिह्नित किया गया है।

(च) गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का अन्यत्र उपयोग, जिसमें अवसंरचना परियोजनाएं भी शामिल हैं, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और उसके तहत जारी नियमों और दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत विनियमित है। वानिकी, वन्यजीव और पर्यावरणीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वन भूमि का अन्यत्र उपयोग से जुड़े प्रस्तावों की जांच मामले-दर-मामले के आधार पर की जाती है। ऐसे प्रस्तावों पर विचार करते समय, वन भूमि की आवश्यकता को कम करने और वनों के खंडित होने से बचने या उसे कम करने पर ज़ोर दिया जाता है।
